

जल शक्ति मंत्रालय

मांग संख्या 62

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	12020.06	181.42	12201.48	19738.21	380.48	20118.69	23654.07	327.93	23982.00	29830.65	403.18	30233.83
वसूलियां	-225.62	-13.79	-239.41	-44.02	-20.00	-64.02	-4462.08	-3.00	-4465.08	-8909.50	-1.23	-8910.73
प्राप्तियां
निवल	11794.44	167.63	11962.07	19694.19	360.48	20054.67	19191.99	324.93	19516.92	20921.15	401.95	21323.10
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	122.13	...	122.13	275.90	3.17	279.07	280.49	5.05	285.54	269.26	5.74	275.00
1.02 वसूली	-0.01	...	-0.01
निवल	122.12	...	122.12	275.90	3.17	279.07	280.49	5.05	285.54	269.26	5.74	275.00
संबद्ध, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय												
2. केन्द्रीय जल आयोग												
2.01 केन्द्रीय जल आयोग	378.52	8.60	387.12	448.70	11.30	460.00	398.00	2.00	400.00	379.28	12.05	391.33
2.02 वसूली	-0.60	...	-0.60
निवल	377.92	8.60	386.52	448.70	11.30	460.00	398.00	2.00	400.00	379.28	12.05	391.33
3. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला												
3.01 केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला	83.56	...	83.56	99.69	0.31	100.00	87.80	0.20	88.00	89.64	0.36	90.00
3.02 वसूली	-15.95	...	-15.95	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00
निवल	67.61	...	67.61	99.69	0.31	100.00	72.80	0.20	73.00	74.64	0.36	75.00
4. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	27.60	...	27.60	28.57	0.20	28.77	30.38	0.09	30.47	29.89	0.11	30.00
5. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड	0.10	...	0.10	0.55	...	0.55	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
6. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड												
6.01 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	8.82	3.12	11.94	2.92	7.08	10.00	3.23	8.03	11.26	5.98	3.31	9.29
6.02 वसूली	-3.92	...	-3.92	-1.00	-3.00	-4.00	-1.80	-1.23	-3.03
निवल	4.90	3.12	8.02	2.92	7.08	10.00	2.23	5.03	7.26	4.18	2.08	6.26
7. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	276.05	7.57	283.62	289.51	14.98	304.49	289.70	14.30	304.00	296.50	13.50	310.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-0.64	...	-0.64
<i>निवल</i>	275.41	7.57	282.98	289.51	14.98	304.49	289.70	14.30	304.00	296.50	13.50	310.00
8. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण	0.12	...	0.12	12.03	0.65	12.68	9.58	3.10	12.68	19.78	5.22	25.00
9. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	43.67	...	43.67	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00	50.00	...	50.00
10. राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र	2.68	...	2.68	3.95	...	3.95	3.59	0.01	3.60	4.00	...	4.00
11. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	7.44	...	7.44	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	8.81	0.19	9.00
12. उत्तर पूर्वी जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम)	18.01	...	18.01	26.02	...	26.02	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00
13. राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए)	53.01	...	53.01	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	50.00	...	50.00
14. ब्रह्मपुत्र बोर्ड	43.47	...	43.47	50.00	...	50.00	55.50	...	55.50	50.00	...	50.00
15. राष्ट्रीय जल अकादमी	9.55	...	9.55	15.87	0.58	16.45	11.82	0.18	12.00	13.27	0.73	14.00
16. राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	2.80	...	2.80	3.57	0.28	3.85	2.90	0.10	3.00	3.85	0.15	4.00
जोड़-संबद्ध, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय	934.29	19.29	953.58	1094.88	35.38	1130.26	1019.30	25.01	1044.31	1008.50	34.39	1042.89
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1056.41	19.29	1075.70	1370.78	38.55	1409.33	1299.79	30.06	1329.85	1277.76	40.13	1317.89
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
मुख्य सिंचाई परियोजना												
17. फरक्का बैराज परियोजना												
17.01 फरक्का बैराज परियोजना	58.21	29.23	87.44	68.86	31.14	100.00	73.02	43.98	117.00	79.78	47.22	127.00
17.02 वसूली	-62.48	...	-62.48	-44.02	...	-44.02	-46.08	...	-46.08	-47.00	...	-47.00
<i>निवल</i>	-4.27	29.23	24.96	24.84	31.14	55.98	26.94	43.98	70.92	32.78	47.22	80.00
18. बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम												
18.01 इएपी घटक	9.44	2.14	11.58	49.76	0.24	50.00	25.99	0.14	26.13	22.82	0.12	22.94
18.02 कार्यक्रम घटक	10.07	2.14	12.21	27.78	0.14	27.92	23.92	0.12	24.04
<i>जोड़- बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम</i>	<i>19.51</i>	<i>4.28</i>	<i>23.79</i>	<i>49.76</i>	<i>0.24</i>	<i>50.00</i>	<i>53.77</i>	<i>0.28</i>	<i>54.05</i>	<i>46.74</i>	<i>0.24</i>	<i>46.98</i>
जोड़-मुख्य सिंचाई परियोजना	15.24	33.51	48.75	74.60	31.38	105.98	80.71	44.26	124.97	79.52	47.46	126.98
नमामी गंगे मिशन-II												
19. राष्ट्रीय गंगा योजना												
19.01 ईएपी घटक	869.37	...	869.37	1000.00	...	1000.00	900.00	...	900.00	1000.00	...	1000.00
19.02 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	1500.00	...	1500.00	2345.70	...	2345.70
19.03 गैर-ईएपी घटक	1314.31	...	1314.31	3000.00	...	3000.00	1500.00	...	1500.00	2345.70	...	2345.70
19.04 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-1500.00	...	-1500.00	-2345.70	...	-2345.70
19.05 वसूलियां	-135.70	...	-135.70
<i>निवल</i>	2047.98	...	2047.98	4000.00	...	4000.00	2400.00	...	2400.00	3345.70	...	3345.70
नदी बेसिन प्रबंधन												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
20. नदी बेसिन प्रबंधन	77.98	0.16	78.14	107.12	2.88	110.00	93.70	0.30	94.00	154.16	0.63	154.79
जल संसाधन प्रबंधन												
21. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	144.00	13.71	157.71	149.43	12.70	162.13	151.90	19.10	171.00	97.39	17.61	115.00
22. भूजल प्रबंधन और विनियमन												
22.01 भूमिजल प्रबंधन और विनियमन	105.24	85.73	190.97	106.22	243.78	350.00	102.00	178.00	280.00	101.95	223.05	325.00
22.02 वसूलियां	...	-13.79	-13.79	...	-20.00	-20.00
<i>निवल</i>	<i>105.24</i>	<i>71.94</i>	<i>177.18</i>	<i>106.22</i>	<i>223.78</i>	<i>330.00</i>	<i>102.00</i>	<i>178.00</i>	<i>280.00</i>	<i>101.95</i>	<i>223.05</i>	<i>325.00</i>
23. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना												
23.01 इएपी घटक	239.50	10.52	250.02	211.80	38.20	250.00	195.93	17.07	213.00	302.50	28.10	330.60
23.02 कार्यक्रम घटक	220.83	10.15	230.98	250.00	...	250.00	191.53	21.47	213.00	302.50	28.10	330.60
जोड़- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	460.33	20.67	481.00	461.80	38.20	500.00	387.46	38.54	426.00	605.00	56.20	661.20
24. राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन	28.77	7.68	36.45	38.58	11.42	50.00	36.68	13.32	50.00	52.02	15.04	67.06
25. अटल भू-जल योजना												
25.01 इएपी घटक	608.00	...	608.00	453.00	...	453.00	968.00	...	968.00	985.00	...	985.00
25.02 कार्यक्रम घटक	547.43	...	547.43	547.00	...	547.00	810.00	...	810.00	793.00	...	793.00
जोड़- अटल भू-जल योजना	1155.43	...	1155.43	1000.00	...	1000.00	1778.00	...	1778.00	1778.00	...	1778.00
जोड़-जल संसाधन प्रबंधन	1893.77	114.00	2007.77	1756.03	286.10	2042.13	2456.04	248.96	2705.00	2634.36	311.90	2946.26
26. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	800.00	...	800.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	4034.97	147.67	4182.64	5937.75	320.36	6258.11	5830.45	293.52	6123.97	6213.74	359.99	6573.73
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
27. हर खेत को पानी	436.00	...	436.00	300.00	...	300.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
28. सिंचाई क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	99.07	...	99.07	400.00	...	400.00	236.69	...	236.69	1400.00	...	1400.00
29. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं												
29.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	1500.00	...	1500.00	2500.00	...	2500.00
29.02 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	668.61	...	668.61	3122.23	...	3122.23	1500.00	...	1500.00	2500.00	...	2500.00
29.03 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-1500.00	...	-1500.00	-2500.00	...	-2500.00
<i>निवल</i>	<i>668.61</i>	<i>...</i>	<i>668.61</i>	<i>3122.23</i>	<i>...</i>	<i>3122.23</i>	<i>1500.00</i>	<i>...</i>	<i>1500.00</i>	<i>2500.00</i>	<i>...</i>	<i>2500.00</i>
30. पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की पूर्ति												
30.01 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण	2241.12	...	2241.12	2200.00	...	2200.00	2178.00	...	2178.00	2114.00	...	2114.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
हेतु व्याज का भुगतान												
30.02 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के लिए नावार्ड	1023.82	...	1023.82	1025.00	...	1025.00	1024.00	...	1024.00	1024.00	...	1024.00
ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान												
30.03 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नावार्ड के लिए	492.91	...	492.91	650.00	...	650.00	572.41	...	572.41	611.80	...	611.80
व्याज आर्थिक सहायता												
जोड़- पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नावार्ड से ऋण की पूर्ति	3757.85	...	3757.85	3875.00	...	3875.00	3774.41	...	3774.41	3749.80	...	3749.80
31. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	432.54	0.67	433.21	448.43	1.57	450.00	198.65	1.35	200.00	447.74	1.83	449.57
	-0.01	...	-0.01
निवल	432.53	0.67	433.20	448.43	1.57	450.00	198.65	1.35	200.00	447.74	1.83	449.57
32. सिंचाई गणना	29.00	...	29.00	40.00	...	40.00	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
33. विदर्भ और मराठवाड़ा जिला एवं अन्य शेष महाराष्ट्र के भयंकर	213.02	...	213.02	400.00	...	400.00	700.00	...	700.00	600.00	...	600.00
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई												
परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता												
जोड़-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	5636.08	0.67	5636.75	8585.66	1.57	8587.23	7029.75	1.35	7031.10	9337.54	1.83	9339.37
34. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन												
34.01 ईएपी घटक	116.53	...	116.53	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	232.87	...	232.87
34.02 कार्यक्रम घटक	332.42	...	332.42	200.00	...	200.00	332.00	...	332.00	359.24	...	359.24
34.03 वसूलियां	-6.31	...	-6.31
निवल	442.64	...	442.64	300.00	...	300.00	432.00	...	432.00	592.11	...	592.11
35. नदियों को आपस में जोड़ना												
35.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	1400.00	...	1400.00	3500.00	...	3500.00
35.02 नदियों को परस्पर जोड़ना	624.34	...	624.34	3500.00	...	3500.00	1400.00	...	1400.00	4000.00	...	4000.00
35.03 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त	-1400.00	...	-1400.00	-4000.00	...	-4000.00
राशि												
निवल	624.34	...	624.34	3500.00	...	3500.00	1400.00	...	1400.00	3500.00	...	3500.00
36. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	3200.00	...	3200.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	6703.06	0.67	6703.73	12385.66	1.57	12387.23	12061.75	1.35	12063.10	13429.65	1.83	13431.48
कुल जोड़	11794.44	167.63	11962.07	19694.19	360.48	20054.67	19191.99	324.93	19516.92	20921.15	401.95	21323.10
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वृहत सिंचाई	624.34	...	624.34	3500.00	...	3500.00	3200.00	...	3200.00	3500.00	...	3500.00
2. वृहत और मध्यम सिंचाई	6206.40	...	6206.40	6280.08	...	6280.08	6806.38	...	6806.38	6928.53	...	6928.53
3. लघु सिंचाई	383.45	...	383.45	399.34	...	399.34	394.64	...	394.64	402.34	...	402.34
4. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	104.65	...	104.65	36.34	...	36.34	26.74	...	26.74	33.17	...	33.17

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. अन्य परिवहन सेवाएं	-4.27	...	-4.27	24.84	...	24.84	26.94	...	26.94	32.78	...	32.78
6. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	2071.45	...	2071.45	4025.75	...	4025.75	3230.75	...	3230.75	3381.50	...	3381.50
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	122.24	...	122.24	287.93	...	287.93	290.07	...	290.07	289.04	...	289.04
8. वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	58.22	58.22	...	83.64	83.64	...	77.10	77.10	...	103.29	103.29
9. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	79.51	79.51	...	239.04	239.04	...	192.40	192.40	...	236.70	236.70
10. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.67	0.67	...	1.57	1.57	...	1.35	1.35	...	1.83	1.83
11. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	29.23	29.23	...	31.14	31.14	...	43.98	43.98	...	47.22	47.22
12. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.19	0.19
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.82	3.82	...	8.15	8.15	...	10.96	10.96
जोड़-आर्थिक सेवाएं	9508.26	167.63	9675.89	14554.28	359.21	14913.49	13975.52	322.98	14298.50	14567.36	400.19	14967.55
अन्य												
14. पूर्वोत्तर क्षेत्र	272.76	...	272.76	241.90	...	241.90	323.98	...	323.98
15. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2261.10	...	2261.10	4704.11	...	4704.11	4903.59	...	4903.59	5946.79	...	5946.79
16. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	25.08	...	25.08	163.04	...	163.04	70.98	...	70.98	83.02	...	83.02
17. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	1.27	1.27	...	1.95	1.95	...	1.76	1.76
जोड़-अन्य	2286.18	...	2286.18	5139.91	1.27	5141.18	5216.47	1.95	5218.42	6353.79	1.76	6355.55
कुल जोड़	11794.44	167.63	11962.07	19694.19	360.48	20054.67	19191.99	324.93	19516.92	20921.15	401.95	21323.10

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
वैपकोस लिमिटेड												
1. डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	...	7.89	7.89	...	2.00	2.00	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
जोड़-वैपकोस लिमिटेड	...	7.89	7.89	...	2.00	2.00	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
जोड़	...	7.89	7.89	...	2.00	2.00	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50

टिप्पणी : बजट अनुमान 2024-25 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 21823.10 करोड़ रुपये है(21323.10 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये)। इसके अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ) के तहत पहले से उपलब्ध शेष राशि से पूरे किए जा रहे हैं। यह अतिरिक्त राशि नदियों को जोड़ने की योजना के तहत प्रदान की जाएगी।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सभी अधिकरणों सहित सचिवालय स्थापना के लिए है।

2. **केन्द्रीय जल आयोग:** यह प्रावधान, केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना व्यय तथा आंकड़ा संग्रहण, निदेशन एवं प्रशासन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, जल विज्ञानीय प्रेक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शी सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान देने, उपकरणों

का आधुनिकीकरण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ, जल आयोजना, बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्र के रखरखाव के लिए भूतान सरकार को भुगतान तथा ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान तथा जल विज्ञानी प्रेक्वषण नेटवर्क के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों के लिए है।

3. **केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला:** यह प्रावधान, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। इसका कार्य जल आधारित परिवहन और पर्यावरणीय पहलुओं सहित जल संसाधन विकास के सभी चरणों से संबंधित विशिष्ट अनुसंधान अध्ययनों की आयोजना, आयोजन और निष्पादन करना है। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले परामर्श और/अथवा सलाहकारी सेवाएं भी देता है।

4. **केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला:** यह प्रावधान, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) का कार्य-क्षेत्रीय एवं प्रयोगशाला संबंधी जांच, भूगर्भीय तंत्र में समस्याओं के विषय में बुनियादी और अनुप्रयुक्त शोध, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, निर्माण सामग्री तथा संबंधित पर्यावरणीय मामले जिनका देश में सिंचाई और विद्युत विकास पर सीधा असर पड़ता है, के संबंध में कार्य करना और भारत तथा विदेशों में विभिन्न परियोजनाओं तथा संगठनों को उपर्युक्त क्षेत्रों में सलाह और परामर्श देना है।

5. **बाणसागर नियंत्रण बोर्ड:** यह प्रावधान, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच अंतर्राज्यीय समझौते के आधार पर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन जनवरी, 1976 में किया गया था जिसका उद्देश्य बाणसागर बांध और संबंधित निर्माण कार्यों का कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन करना था। संबंधित राज्य अपने क्षेत्रों में नहर निर्माण कार्य तथा विद्युत प्रणाली संबंधी कार्य करते हैं। नियंत्रण बोर्ड का संपूर्ण दायित्व बाणसागर बांध और उससे संबंधित संरचनाओं का निर्माण करना है।

6. **ऊपरी यमुना नदी बोर्ड:** यह प्रावधान, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आवंटन को विनियमित करना तथा लौटते प्रवाह की निगरानी करना, सतही और भूमि जल की निगरानी, संरक्षण तथा गुणवत्ता में बढोत्तरी करना, बेसिन के लिए जल मौसम विज्ञानी आंकड़ों का रखरखाव, वाटरशेड प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं बनाना और ओखला बैराज सहित उस तक सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना है।

7. **केंद्रीय भूमि जल बोर्ड:** प्रावधान, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन है जिसका दायित्व प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार तथा भूमि जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं सतत विकास व प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी और इनका कार्यान्वयन करना है जिसमें भूमि जल की खोज, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से सुरक्षा, वितरण करना शामिल है जो आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय कौशल और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को राष्ट्रीय शीर्ष संगठन होने के कारण, वैज्ञानिक अध्ययन करने, खुदाई द्वारा अन्वेषण, भूमि जल प्रणाली की निगरानी, देश के भूमि जल संसाधनों का आकलन, संवर्धन, प्रबंधन और विनियमन करने का दायित्व सौंपा गया है।

8. **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण:** यह प्रावधान राष्ट्रीय तटबंध सुरक्षा प्राधिकरण के सचिवालय के लिए है।

9. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान:** यह प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के लिए है। इस संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1979 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई। इसके मुख्य कार्यों में जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य शुरू करना, उनमें सहायता करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका समन्वय करना, जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय, विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुरूप एक अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना करना एवं उसका रखरखाव करना तथा इसमें किताबों, समीक्षाओं, समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं और अन्य संबंधित प्रकाशनों आदि की व्यवस्था करना है।

10. **राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र:** यह प्रावधान राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) के स्थापना व्यय के लिए है। सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर की गई थी। ईएफसी की बैठक दिनांक 16.10.2015 को आयोजित की गई थी और यह माना गया था कि राष्ट्रीय जल विज्ञान डेटा के महत्व को देखते हुए, संपूर्ण डेटा और निर्णय समर्थन प्रणाली को एनडब्ल्यूआईसी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

11. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के स्थापना व्यय के लिए किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पहचाने गए प्रदूषित नदी क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय को वर्ष 2019-20 के (बजट) नियमित में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्थानांतरित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में वित्त वर्ष 2018-19 तक का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

12. **उत्तर पूर्वी जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम):** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम) की नियमित स्थापना हेतु वेतन के भुगतान के लिए अनुदानों का प्रावधान है।

13. **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए):** एनडब्ल्यूडीए के व्यय को योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय से अलग करके इसके स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु प्रावधान किया गया है।

14. **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** ब्रह्मपुत्र बोर्ड के व्यय को योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय से अलग करके इसके स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु प्रावधान किया गया है।

15. **राष्ट्रीय जल अकादमी:** केंद्रीय जल आयोग की राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है और जिसका व्यय एचआरडी एवं सीबी योजना से पूरा किया जाता था। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था चूंकि यह स्थापना व्यय है अतः इसे किसी भी योजना के अंतर्गत रखा नहीं जा सकता। तदनुसार योजना-भिन्न के अंतर्गत एनडब्ल्यूए के व्यय की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

16. **राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और इसका व्यय एचआरडी एवं सीबी योजना से पूरा किया जाता है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि चूंकि यह स्थापना व्यय है

अतः इसे किसी भी योजना के अंतर्गत रखा नहीं जा सकता। तदनुसार योजना-भिन्न के अंतर्गत आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई के व्यय की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

17. **फरक्का बैराज परियोजना:** यह प्रावधान, फरक्का बैराज परियोजना के निष्पादन के लिए है। इसे भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के क्षेत्र और नौवहन क्षमता में सुधार करके कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसके मुख्य कार्यों में फरक्का बैराज, जांगीपुर बैराज फीडर नहर का प्रचालन एवं अनुरक्षण, नेविगेशन लॉक्स तथा भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल की हिस्सेदारी के संबंध में समझौते को सुगम बनाना और उसका कार्यान्वयन शामिल है।

18. **बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम:** यह प्रावधान, बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम तथा दामोदर घाटी निगम के लिए है, ताकि बांध सुरक्षा और इसके पुनर्स्थापन के लिए परियोजनाओं को शुरू किया जा सके। इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से भारत में बांध सुरक्षा गतिविधियों को लगातार सुदृढ़ करने के भाग के रूप में शुरू किया गया है।

19. **राष्ट्रीय गंगा योजना:** राष्ट्रीय गंगा योजना: यह प्रावधान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित योजनाओं / परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। इसमें नये एसटीपी को चालू करने के अलावा मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के पुनरुद्धार और उन्नयन की योजना शामिल है।

19.01. **ईएपी घटक:** यह प्रावधान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित योजनाओं / परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। इसमें नये एसटीपी को चालू करने के अलावा मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के पुनरुद्धार और उन्नयन की योजना शामिल है।

19.03. **गैर-ईएपी घटक:** यह प्रावधान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित योजनाओं/ परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। इसमें नये एसटीपी को चालू करने के अलावा मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के पुनरुद्धार और उन्नयन की योजना शामिल है।

20. **नदी बेसिन प्रबंधन:** यह प्रावधान (i) ब्रह्मपुत्र बोर्ड को पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य योजनाओं के सर्वेक्षण, जांच और तैयार/अद्यतन जल निकासी विकास योजना, अपरदन रोधी और बांध प्रबंधन संबंधी कार्यों जैसी अपनी नियमित गतिविधियों/कार्यों को पूरा करने; (ii) जल संसाधन विकास योजना की जांच जिसमें सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वेक्षण, जांच एवं डीपीआर तैयार करने और एनडब्ल्यूडी को इसकी नियमित स्थापना तथा नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और डीपीआर तैयार करने के लिए अनुदान प्राप्त करने और (iii) नदी घाटी प्राधिकरणों की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

21. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** यह प्रावधान, मौजूदा केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों को मजबूत बनाने और डेटा और प्रसंस्करण क्षमताओं की गुणवत्ता में सुधार करके डाटा बैंक और डाटा बेस के नेटवर्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली को जोड़ने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

22. **भूजल प्रबंधन और विनियमन:** यह प्रावधान, भूजल प्रबंधन और बेहतर भूजल प्रशासन हेतु विनियमन से संबंधित परियोजना के निष्पादन के लिए है। इसमें उक्त योजना के तहत एकमात्र एनएक्यूआईएम परियोजना शामिल है।

23. **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:** यह प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के कार्यान्वयन, पद्धति और मॉडल (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा विकसित) के पुनरावलोकन तथा उसके समेकन, यदि आवश्यक हो तो आकलन की पद्धति के बारे में राज्य के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने, बेसिन के मैक्रो-मॉडल की तर्ज पर राज्य के इंजीनियरों (माइक्रो-मॉडल) द्वारा उप-बेसिन स्तर पर जल आकलन मॉडल का विकास करने, नदी बेसिन आयोजना, विस्तारित हाइड्रोलोजिकल पूर्वानुमान (ईएचपी), बाढ़ पूर्वानुमान (फ्लैश फ्लड, बाढ़ तथा जलभराव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली), सेडीमेंट मॉडलिंग अध्ययन, राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (एनडब्ल्यूआईसी) आदि के लिए है। यह योजना विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

24. **राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन:** यह प्रावधान जल के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, तथा जल का संरक्षण, बर्बादी को कम करने तथा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर और भीतर इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयनकारी योजनाओं/परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए है।

25. **अटल भू-जल योजना:** यह प्रावधान भूजल प्रबंधन में सुधार और प्रोत्साहन हेतु परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित अटल भूजल योजना के लिए है।

26. **कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण:** इस योजना का उद्देश्य कृषि अवसंरचना एवं विकास निधि (एआईडीएफ) को राष्ट्रीय गंगा योजना के कार्यात्मक शीर्ष से 800 करोड़ रुपये का अंतरण करना है।

27. **हर खेत को पानी:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की अनुमोदित योजना के घटक- हर खेत को पानी के अंतर्गत (i) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार, (ii) सतही लघु सिंचाई योजनाएं, और (iii) भूमि जल सिंचाई की योजनाओं के तहत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। जबकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जिसमें प्राथमिकता वाली चिह्नित 99 परियोजनाओं के संबंध में वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और सिंचाई क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) शामिल हैं, का वित्तपोषण एलटीआईएफ से ईबीआर के माध्यम से किया जा रहा है, उपर्युक्त घटक बजट माध्यम के अंतर्गत जारी हैं।

28. **सिंचाई क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) नामक समावेशी योजना के सिंचाई क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम) घटकों के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है, जिसे पहले नाबार्ड से ऋण जुटाते हुए ईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता था।

29. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) नामक समावेशी योजना के वृद्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना संबंधी घटकों के लिए व्यय को पूरा करने के प्रावधान किया गया है, जिसे पहले नाबार्ड से ऋण जुटाते हुए ईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता था।

30.01. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज का भुगतान:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड से प्राप्त ऋण के ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान है।

30.02. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के लिए नाबार्ड ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड से प्राप्त ऋण के मूलधन की चुकौती के लिए प्रावधान है।

30.03. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता:** पीएमकेएसवाई के तहत राज्यों को नाबार्ड के ब्याज के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

31. **बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी):** बाढ़ के प्रभाव को कम व नियंत्रित करने, पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं, हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण तथा जांच समान/सीमावर्ती नदियों में नदी प्रबंधन कार्य, बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधन तथा समुद्री कटावरोधन कार्य, कोसी तथा गंडक परियोजना (नेपाल) में बाढ़ संरक्षण कार्यों के रखरखाव के लिए प्रावधान है।

32. **सिंचाई गणना:** यह प्रावधान, लघु सिंचाई संगणना आदि को युक्तिपूर्ण ढंग से करने के लिए सिंचाई संगणना योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

33. **विदर्भ और मराठवाड़ा जिला एवं अन्य शेष महाराष्ट्र के भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता:** यह प्रावधान महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा क्रमिक रूप से सूखा संभावित अन्य क्षेत्रों में कृषि संकट से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

34. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन:** राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का मुख्य उद्देश्य नदियों में पहुंचने वाले प्रदूषण लोड में विभिन्न प्रदूषण उपशमन निर्माण कार्यों को आरंभ करके कमी करते हुए नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों की जल गुणवत्ता में सुधार करना है।

35. **नदियों को आपस में जोड़ना:** यह प्रावधान केन-बेतवा नदी परियोजना के अंतर संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए है।

36. **कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण:** योजनाओं का लक्ष्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाओं (1400 करोड़ रुपये) और नदियों को जोड़ने (1800 करोड़ रुपये) के कार्यात्मक शीर्षों से कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ) में 3200 करोड़ रुपये की राशि अंतरित करना है।